UPBR010066252023

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–प्रथम बरेली</u>

उपस्थित : विजेन्द त्रिपाठी (एच0जे0एस0)

सत्र परीक्षण संख्या : 1203/2023

सरकार

बनाम

दानिश पुत्र नवी अहमद,
निवासी ग्राम उतरसिया महोलिया थाना बहेड़ी, बरेली।

मु0अ0 संख्या 275/2021
धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955
थाना– बहेड़ी, जनपद बरेली।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत प्रकरण में थाना बहेड़ी, जनपद बरेली की पुलिस द्वारा अभियुक्त दानिश के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहेड़ी, बरेली में प्रस्तुत किया गया। संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अपराध में संज्ञान लिया गया। तदोपरांत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहेड़ी, बरेली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अंतर्गत धारा 207 दं0प्र0सं0, 1973 अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ प्रदत्त करने के उपरान्त मामले को अनन्यतः सत्र परीक्षणीय वाद होने के कारण, सत्र न्यायालय में परीक्षण हेतु दिनॉक 06.05.2023 को उपार्पित किया गया, जिसके आधार पर माननीय सत्र न्यायालय, जनपद बरेली में सत्र परीक्षण सं0 1203/2023 संस्थित हुआ। तदोपरान्त उपरोक्त वाद इस न्यायालय को नियमानुसार दिनांकित

17.05.2023 को अंतरित होकर प्राप्त हुआ। पुनः माननीय जनपद न्यायाधीश बरेली के आदेश के अनुपालन में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 2, बरेली स्थानान्तरित की गयी। पत्रावली न्यायालय रिक्त होने के उपरान्त पुनः दिनांकित 27.05.2025 को इस न्यायालय को विचारण हेतु अंतरण से प्राप्त हुई।

2. संक्षेप में सत्र परीक्षण संख्या 1203/2023 (मुकदमा अपराध संख्या 275/2021) का अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, थाना बहेड़ी, जनपद बरेली ने इस आशय की फर्द/तहरीर प्रदर्श क–1 देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 08.05.2021 को वह उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा मय कां0 112 अरूण अरूण पूनिया के चौकी क्षेत्र भुडिया में शांति व्यवस्था व वांछित अभियुक्त देखरेख इलाका में मामूर थे तो जब हम लोग गस्त करते हुऐ ग्राम उतरसिया मोलिया गाँव के पास पहुँचे तो मुखबिर खास ने सूचना दी की गाँव उतरिया मोलिया मे दानिश पुत्र नवी अहमद अपने घर में बछडा (गोवंशीय) का वध कर मीट बेच रहा है यदि जल्दी की जाये तो मय माल के पकड़ा जा सकता है मुखबिर की बात पर विश्वास कर मैं उपनिरीक्षक मय हमराही कर्मचारीगण मय मुखबिर के मुखबिर द्वारा बताये स्थान की तरफ चल दिये मुखबिर ने 20 कदम दूर लगभग इशारा करके बताया कि यह वहीं मकान है जहाँ पर गौकशी हो रही है और मुखबिर चला गया। हम पुलिस वालों ने एक बारगी दबिश देकर घर में प्रवेश किया तो एक व्यक्ति जिसके **हाथ में बाट तराजू है तथा पास में एक छुरी लकडी का गुटका व लगभग 50 किलो मांस रखा है।** मौजूद मिला हम पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया तथा इसका नाम पता पूछा तो इसने अपना नाम दानिश पुत्र नवी अहमद नि० ग्राम उतरसिया मोलिया थाना बहेडी जिला बरेली बताया तथा गलती की माफी माँगते हुऐ बोला कि साहब मैंने एक गाय का बछडा कम पैसो में खरीद लिया था तथा आज उसका वध करके मीट अपने घर पर ही बेच रहा था। आपने मुझे

पकड लिया। **मौके से एक छुरी लम्बाई लगभग दो बालिश नुकीली एवं लकडी का गुटका, तराजू, एक किलो का बाट व 50 किलो गोवंशीय मास बरामद हुआ।** अभियुक्त का यह जुर्म 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के अर्न्तगत आता अभियुक्त को उसके जुर्म व धारा से अवगत कराते हुऐ समय करीब 16.35 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तथा गोवंशीय मांस तराजू बाट छुरी, लकडी का गुटका कब्जे पुलिस लिया गया। मौके से एक रिपोर्ट देकर पशु चिकित्सक को गोवंशीय मांस चेक कराने को भेजी गयी जिसकी रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जायेगी। बरामद मास को सेम्पिल परिक्षण हेतु पशु चिकित्सक द्वारा ले जाया गया। शेष गोवंशीय मास को गढढा खुदवाकर नष्ट किया गया। मौके से बरामद हुरी। तराजू व बाट व लकडी के गुटके को एक कटटे में रखकर शील सर्वे मोहर किया गया नमूना मौहर तैयार किया गया गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानव अधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का पूर्ण तया पालन किया गया। फर्द मौके पर उपनिरीक्षक द्वारा मौके पर तैयार की गयी। फर्द को पढ़कर सुनाकर गवाहो के हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द की कार्बन प्रति एक अलामात बनवाये गये।

3. वादी मुकदमा की मूल फर्द बरामदगी/तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर अभियुक्त दानिश के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 275/2021, अंतर्गत धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। साक्षीगण के बयान अंकित किये गये और विवेचनोपरान्त अभियुक्त दानिश के विरूद्ध धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 362/2021 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. प्रश्नगत मामलें में अभियुक्त दानिश के विरुद्ध दिनांक 27.06.2023 को आरोप अन्तर्गत धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 विरचित किया गया, अभियुक्त को उपरोक्त आरोप

पढ़कर सुनाया व समझाया गया, किन्तु अभियुक्त ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

5. अभियोजन की ओर से, अभियुक्त के विरूद्ध, आरोपित अपराध को, सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :–

क0सं0	साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1.	पी0डब्लू0–1	एस0आई0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	वादी मुकदमा
2.	पी0डब्लू0–2	एस0आई अरूण कुमार शर्मा	गिरफ्तारी के साक्षी
3.	पी0डब्लू0–3	हे0कां0 1941 राकेश कुमार	औपचारिक साक्षी
4.	पी0डब्लू0–4	एस0आई0 अनुज चौधरी	विवेचक
5.	पी0डब्लू0–5	डॉ0 दीपक कुमार	विशेषज्ञ साक्षी

अभियोजन की ओर से, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

6. अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन की ओर से निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके साबित होने के उपरान्त उन पर निमयानुसार प्रदर्श अंकित किये गये है:–

क. सं.	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श	अभिलेख किस साक्षी द्वारा साबित किये गये हैं।
1.	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1 एस0आई0 धर्मेन्द्र कुमार

2.	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–1 एस0आई0 धर्मेन्द्र कुमार
3.	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–3 कां0क्ल0 राकेश कुमार
4.	जी0डी0 कायमी	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–3 कां0क्ल0 राकेश कुमार
5.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0– 4 उ0नि0 अनुज चौधरी
6	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0– 4 उ0नि0 अनुज चौधरी
7.	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0– 4 उ0नि0 अनुज चौधरी
8.	चिकित्सक रिपोर्ट	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0– 5 डॉ0दीपक कुमार

7. अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष वस्तु के रूप में निम्नलिखित वस्तुएं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं और जिनके साबित होने के उपरान्त उन पर नियमानुसार वस्तु प्रदर्श अंकित किया गया –

क. सं.	**वस्तु का नाम**	**प्रदर्श**	**वस्तु किस साक्षी द्वारा साबित किये गये हैं।**
1.	प्लास्टिक के सफेद कट्टे	वस्तु प्रदर्श – 1	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा
2.	चिट	वस्तु प्रदर्श – 2	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा
3.	लकड़ी का गुटका	वस्तु	पी0डब्लू0–1 उ0नि0

		प्रदर्श – 3	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा
4.	लोहे का तराजू, एक छुरी व एक किलो का वाट लोहे का	वस्तु प्रदर्श – 4 लगायत वस्तु प्रदर्श–6	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा

8. अभियुक्त दानिश के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताते हुये साक्षीगण के बयान को गलत बताया तथा मुकदमा पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से फसाकर गलत चलना बताते हुए सफाई साक्ष्य देने को कहा। लेकिन उनकी ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

10. आपराधिक विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अपने साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

11. अभियोजन पक्ष को पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य संदेह से परे साबित करना है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **दिनांक 08.05.2021 को समय 16:35** वहद स्थान उतरसिया मोहलिया थाना बहेड़ी, जिला बरेली में अभियुक्त के कब्जे से 50

किलो गोमांस बरामद हुआ तथा प्रयोग में लाया हुआ एक अदद छुरी, एक लकड़ी का गुटका, तराजू व बाट बरामद किया गया।

12. इस संबंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा न्यायालय के समक्ष दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दिनांक 08.05.2021 को समय 16:35 वहद स्थान उतरसिया मोहलिया थाना बहेड़ी, जिला बरेली में अभियुक्त के कब्जे से 50 किलो गोमांस बरामद हुआ तथा प्रयोग में लाया हुआ एक अदद छुरी, एक लकड़ी का गुटका, तराजू व बाट बरामद किया गया। अभियुक्त के उपरोक्त कृत्यों को अभियोजन के द्वारा पूर्णतः सिद्ध एवं साबित किया गया है। अतः अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध किया जाय।

13. इस संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, न ही अभियुक्त को गौमांस के टुकड़े काटते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और न उनके कब्जे से छुरी, लकड़ी का गुटका, तराजू व बाट एवं 50 किलो गोवंशीय मांस बरामद किया गया है। जी0डी0 रवानगी विवरण अंकित नहीं किया गया है और न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया गया है। पुलिस वालों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। आबादी वाला मोहल्ला होने के बावजूद तथा दिन का समय होने के बावजूद तलाशी के दौरान किसी जनता के गवाह को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए बरामदगी संदिग्ध है। घटना को कहीं से लिंक नहीं किया गया है। माल सील मोहर पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये हैं। खून को प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है और न ही प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। बरामद माल के नष्ट किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। थाने में बैठकर सारी लिखा पढ़ी हुयी है। घटना का निरीक्षण घटना कारित होने के तीन दिन बाद किया गया है। इस आधुनिक समय में घटना की विडियोग्राफी हो

सकती थी, जो कि पुलिस के द्वारा नहीं करायी गयी है। उपरोक्त तथ्य घ ाटना को संदिग्ध बनाते हैं। अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाय।

14. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0– 1 के रूप में एस0आई0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–1 एस0आई0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा हैं।

गवाह पी0डब्लू0–1 एस0आई0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 05.12.23 में थाना बहेड़ी पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिन मैं हे.का. (हेड कांस्टेबल) 04 आलोक कुमार शर्मा व का. (कांस्टेबल) 112 विजय मलिक के साथ चौकी क्षेत्र बुढ़िया में शान्ति व्यवस्था एंव वांछित अभियुक्त देखरेख के मामूर थे जब हम लोग गश्त करते हुए ग्राम उत्तरसिफ मुढ़िया के पास पहुँचे तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि ग्राम उत्तरसिफ मुढ़िया में दानिश पुत्र नबी अहमद अपने घर में बछड़ा (गोवंशीय) का वध कर मीट बेंच रहा है। यदि जल्दी की जाए तो उसे माल के पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की इस बात पर विश्वास करके मैं एसआई मय हमराही कर्मचारीगण मय मुखबिर के मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान की तरफ चल दिया। मुखबिर ने कुछ दूर पहले इशारा करके बताया कि यह वही मकान है जहाँ गोकशी हो रही है और मुखबिर चला गया। हम पुलिस वालों ने एक बारगी दबिश देकर घ ार में प्रवेश किया तो एक व्यक्ति जिसके हाथ में बाट तराजू तथा पास में एक छुरी लकड़ी का एक गुटका व लगभग पचास किलो मांस मौजूद मिला। हम पुलिस वालों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम दानिश पुत्र नबी अहमद निवासी ग्राम उत्तरसिफ मुढ़िया थाना बहेड़ी जनपद बरेली बताया और अपनी गलती की माफी मांगते हुए बोला कि साहब मैंने एक गाय का बछड़ा कम पैसों में खरीद लिया था तथा आज उसका वध कर

दिया, मीट अपने घर पर ही बेंच रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया। मौके से एक छुरी लम्बाई लगभग दो बालिश्त नुकीली, एक लकड़ी का गुटका, तराजू एवं किलो का बाट व पचास किलो गोवंशीय मांस बरामद हुआ। अभियुक्त का कृत्य धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आता है। इसलिए अभियुक्त को उसके जुर्म धारा अवगत कराते हुए 16:30 बजे शाम हिरासत पुलिस में लिया गया। गोवंशीय मांस, तराजू, बाट, छुरी, लकड़ी का गुटका कब्जा पुलिस में लिया गया। मौके से एक रिपोर्ट देकर पशु चिकित्सक को गोवंशीय मांस चेक कराने हेतु भेजी गयी। जिसकी रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जायेगी। बरामद मांस को सैम्पल परीक्षण हेतु पशु चिकित्सक द्वारा ले जाया गया। शेष गोवंशीय मांस को गड्ढा खुदवाकर नष्ट किया गया। मौके से बरामद छुरी, तराजू व बाट को एक कट्टे में रखकर सील मोहर कर अलग मोहर तैयार किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश–निर्देशों का पालन किया गया। फर्द मौके पर ही मेरे द्वारा की गयी। फर्द को पढ़कर सुनाया गवाहान के हस्ताक्षर कराए गए। फर्द की एक कार्बन प्रति अभियुक्त दानिश को देकर उसका अंगूठा निशानी कराया। पत्रावली में शामिल गिरफ्तारी प्रपत्र प्रारूप दो लेख व हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने गिरफ्तारी फर्द पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पत्रावली पर शामिल फर्द कागज सं0 4क/3 जो मेरे लेख व हस्ताक्षर हैं जिस पर हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर हैं, तथा दानिश का भी अंगूठा निशानी लगा है। साक्षी ने फर्द पर अपने लेख व हस्ताक्षर कर्मचारी हमराही के हस्ताक्षर बनवाये तथा अभियुक्त दानिश के निशानी अंगूठा की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्शक–2** डाला गया। इस संबंध में विवेचक ने मेरा बयान दिनांक 09.05.2021 को लगभग सवा ग्यारह बजे थाना हाजा पर लिया था। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित माल मुकदमा सील मोहर एक सफेद कट्टे में पेश हुआ। सफेद कट्टे पर काली स्याही से मु.अ.सं. 275/21 धारा

3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना बहेड़ी की इबारत लिखी है। इस सफेद कट्टे पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया तथा प्लास्टिक के कट्टे के ऊपर टेप से एक चिट सफेद चिटबंदी लगी हुई है। चिटबंदी मेरे हस्ताक्षर हैं, साक्षी ने चिट पर अपने लेख हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। माननीय न्यायालय के आदेश से कट्टे को खोला गया जिसके अंदर से एक लकड़ी का गुटका निकला जिस पर वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया। कट्टे के अंदर से एक लोहे का तराजू तथा एक छुरी तथा एक किलो का बाट लोहे का निकला जिस पर वस्तु प्रदर्श–4, वस्तु प्रदर्श–5, वस्तु प्रदर्श–6 डाला गया।

गवाह पी0डब्लू0–1 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसका निष्कर्ष वाद के अंतिम निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

15. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–2 के रूप में एसआई अरूण कुमार शर्मा को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–2 प्रश्नगत प्रकरण में गिरफ्तारी के गवाह हैं।

गवाह पी0डब्लू0–2 एसआई अरूण कुमार शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दिनांक 08–12–2023 को मैं एसआई धर्मेंद्र कुमार शर्मा व का. 112 अरुण पुनिया के साथ थाना बहेड़ी की चौकी मुढ़िया नाचोली में शान्ति व्यवस्था, वांछित अभियुक्त तलाश व देखरेख इत्यादि में मामूर था। हम लोग गश्त करते हुए ग्राम उत्तरसिफ मढ़ैया (बुढ़िया) के पास पहुँचे, तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि दानिश पुत्र नबी अहमद अपने घर में अवैध गाय का बछड़ा काटकर उसका मीट बेंच रहा है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम उसके बताए स्थान पर मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यह वही स्थान है जहाँ गोकशी हो रही है। मुखबिर चला गया, हम पुलिस वालों ने एकदम दबिश देकर घर में प्रवेश किया, तो एक व्यक्ति जिसके हाथ में बाट तराजू था, तथा पास में एक छुरी, लकड़ी का गुटका

व करीब 50 किलो गौमांस रखा हुआ था। हम लोगों ने उस व्यक्ति को मौके पर ही गोवंशीय मांस के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम दानिश पुत्र नबी अहमद बताया, तथा कहा कि मैंने एक गाय का बछड़ा कम दामों में खरीद लिया था, उसे यहाँ पर बाँधकर उसे काटा था, यह जो मीट है उसी बछड़े का है जिसे मैं बेंच रहा हूँ। मौके से एक छुरी, लम्बाई लगभग 2 बालिश्त नुकीली, एक लकड़ी का गुटका, एक तराजू, 1 किलो का एक बाट व 50 किलो गोवंशीय मांस बरामद हुआ था। अभियुक्त को उसके जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए समय करीब 16:35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा बरामद माल की फर्द दरोगा जी द्वारा मौके पर बनायी गयी। मौके से एक रिपोर्ट देकर पशु चिकित्सक को मांस चेक करने हेतु भेजी गयी थी, बरामद मांस का सैम्पल परीक्षण हेतु पशु चिकित्सक द्वारा ले जाया गया था। शेष गोवंशीय मांस का गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया गया था। मौके से बरामद माल को एक कट्टे में रखकर सील बंद मोहर किया गया। नमूना मोहर तैयार किया गया, गिरफ्तारी मेमो मौके पर बनाया गया था, फर्द मौके पर दरोगा जी द्वारा बनायी गयी थी, जिसको जिसकी पी0डब्लू0 द्वारा प्रदर्श–2 के रूप में साबित किया जा चुका है। विवेचक ने मेरे बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 के लिये थे।

गवाह पी0डब्लू0–2 एस0आई0 अरूण कुमार शर्मा से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसका निष्कर्ष वाद के अंतिम निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

16. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–3 के रूप में हे0कां0 119 राकेश कुमार को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–3 प्रश्नगत प्रकरण में औपचारिक साक्षी हैं।

गवाह पी0डब्लू0–3 हे0कां0 119 राकेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दिनांक 08–05–21 को मैं थाना बहेड़ी पर बतौर सीसी के पद पर तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी

थाने के कार्यालय पर थी। उस दिन एसआई धर्मेंद्र कुमार शर्मा मय (हेड कांस्टेबल) अरुण कुमार शर्मा, कां0 अरुण पुनिया बाद देखरेख शान्ति व्यवस्था व चौकी मुढ़िया क्षेत्र से गिरफ्तारशुदा अभियुक्त दानिश पुत्र नबी अहमद निवासी ग्राम उत्तरसिफ मुढ़ैया थाना बहेड़ी के साथ एक फर्द बरामदगी 50 किलो गौमांस, एक छुरी, एक लकड़ी का गुटका, एक तराजू व एक किलो का बाट मय नमूना मोहर थाने पर दाखिल किया। अभियुक्त की जामा तलाशी संतरी से करायी गयी, परंतु उसके पास पहने कपड़ों के अलावा कोई अन्य बरामद नहीं हुआ। अभियुक्त को मर्दाना हवालात में दाखिल करके संतरी को लिखाया गया। बरामद माल का सैम्पल डाक्टरी परीक्षण हेतु भेजा गया। दाखिला फर्द के आधार पर मेरे द्वारा मु.अ.सं. 275/23 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट दिनांक 08–05–21 समय 17:37 पीएम पर कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर दर्ज करायी गयी। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद नकल चिक कागज सं0 4क/1 लगायत 4क/2 दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह नकल चिक मेरे द्वारा दाखिला फर्द के आधार पर बोल–बोलकर टाइप करायी गयी थी। इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। नकल जी0डी0 संख्या 44 दिनांक 08–05–21 देखकर कहा कि यह जी0डी0 भी मेरे द्वारा बोल–बोलकर टाईप करायी गयी थी। इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 अंकित किये थे।

गवाह पी0डब्लू0–3 119 राकेश कुमार से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसका निष्कर्ष वाद के अंतिम निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

17. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–4 के रूप में एस0आई0 अनुज चौधरी को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–4 प्रश्नगत प्रकरण में विवेचक हैं।

गवाह पी0डब्लू0–4 एस0आई0 अनुज चौधरी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि कि 09.05.21 को मैं थाना

बहेड़ी में तैनात था। उस दिन इस मुकदमे की विवेचना मुझे सुपुर्द हुई थी। विवेचना प्रारम्भ करते हुए उसी दिन पर्चा नं. 01 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा नकल चिक (फर्द बरामदगी व जामा तलाशी) पचास किलो गो मांस, एक छुरी व एक लकड़ी का गुटका, तराजू व एक किलो का बाट व गिरफ्तारी अभियुक्त दानिश की गई। इसके बाद नकल रपट, बयान एफआईआर लेखक नरेश कुमार, एसआई धर्मेन्द्र शर्मा अंकित किये गये व बयान अभियुक्त दानिश अंकित किये जिसमें उसने जुर्म का इकबाल करते हुए कहा कि मैंने गाय का बछड़ा एक, पैसों में खरीदा था, उसे काटा था जो मीट पुलिस ने मेरे पास से बरामद किया है, ये वही बछड़े का मीट है। इसे मैं बेच रहा था, परंतु आपने पकड़ लिया। इसके उपरांत बयान वादी व बयान अभियुक्त के आधार पर अभियोग में धारा 429 भा0दं0सं0 व धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम की बढ़ोत्तरी की एवं उसका इंदराज जी0डी0 में किया गया। पर्चा नं0 2 दि० 11.05.21 में फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के गवाह एचसी अरुण शर्मा व कां० अरुण पुनिया के बयान अंकित किये गये। इसके उपरांत घटनास्थल ग्राम उत्तरसिया थाना बहेड़ी गया। घटना स्थल अभियुक्त का घर ही था, जिसका निरीक्षण करके नक्शा नजरी मौके पर ही मेरे द्वारा तैयार किया गया। नक्शा नजरी कागज नं० 5क/2 देखकर साक्षी ने कहा कि यह नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर जाकर तैयार किया गया था। यह मेरे लेख में है व मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श–क 5 डाला गया। पर्चा नं0 3 दि० 26.6.21 में घटना से सम्बंधित माल/गोवंश मीट को कां० बॉवी कुमार द्वारा एफएसएल मथुरा में दाखिल किये जाने सम्बन्धी माल दाखिले की प्रति का अवलोकन कर उसे संलग्न सी0डी0 किया गया। माल दाखिले से सम्बंधित प्रपत्र की मूल प्रति कागज नं० 6क/1 देखकर साक्षी ने कहा कि ये वही प्रपत्र है जो कां० बॉबी कुमार द्वारा क्षेत्राधिकारी बहेड़ी के हस्ताक्षर कराकर एफएसएल मथुरा दाखिल किया गया था। इसका अवलोकन करके मैंने उसे संलग्न सी0डी0 किया था। जिसको मैं प्रमाणित करता हूँ। इस

पर प्रदर्श–क 6 डाला गया। पर्चा नं० 04 दि० 03/07/21 में अब तक की तमामी विवेचना, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल आदि से अभि० दानिश के विरुद्ध जुर्म धारा /3/5/8 सीएस एक्ट व 429 भा0दं0सं0 व धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधि० बखूवी साबित होने पर उनके विरुद्ध आरोप–पत्र सं० 362/2021 न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 3क/1 लगायत 3क/2 देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही आरोप–पत्र है जो अभि० दानिश के विरुद्ध मेरे द्वारा न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। आरोप–पत्र पर प्रदर्श–क 7 डाला गया। एफएसएल मथुरा में दाखिल माल/गोवंश मीट के परीक्षण की रिपोर्ट आरोप–पत्र प्रेषित किये जाते समय प्राप्त नहीं हो पाई थी।

गवाह पी0डब्लू0–4 एस0आई अनुज चौधरी से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसका निष्कर्ष वाद के अंतिम निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

18. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–5 डॉ0 दीपक कुमार के रूप में डॉ0 दीपक कुमार को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–5 प्रश्नगत प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी हैं।

गवाह पी0डब्लू0–5 डॉ0 दीपक कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दिनांक 09–05–21 को मैं पशु चिकित्साधिकारी बहेड़ी के पद पर तैनात था। उस दिन थाना–बहेड़ी के उपनिरीक्षक धर्मेंद्र कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र हमारे कार्यालय पर दिया गया था, जिसमें ग्राम–उत्तरसिया महोलिया में बरामद मांस एवं अवशेष के परीक्षण हेतु आग्रह किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद उसी दिन समय 3:30 पीएम पर थाना–बहेड़ी जाकर मांस व अवशेषों की प्रारम्भिक जाँच की गयी एवं उसके उपरांत पशु चिकित्सालय में मांस व अवशेषों का सैम्पल ले जाकर पुनः जाँच की गयी। वहाँ की गयी जाँच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये, कुल मांस जमा एवं अवशेष लगभग 50 किलो

था। अवशेष के रूप में गर्भाशय (यूट्रस), ट्रेकिया, ओसोफेगस, लीवर व लंग्स के पार्टस मौजूद थे। फैट का कलर पीला था एवं मांस का कलर गुलाबी था। मांस में मौजूद रक्त धमनियां खाली थीं और कोलेक्स थी। पशु चिकित्सालय में की गयी जाँच में मेरी राय में वह संदिग्ध मांस व अवशेष गोवंश के प्रतीत हो रहे थे, परंतु सही परिणाम पाने की दृष्टि से संदिग्ध मांस का सैम्पल एवं विसरा ऑर्गन सैम्पल एफएसएल मथुरा भेजे गये थे। जो कि थाना–बहेड़ी के माध्यम से मेरे द्वारा भेजे गये थे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र कागज सं०– 7क/1 लगायत 7क/3 देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही प्रपत्र है जो संदिग्ध अवशेष व मांस का प्रारम्भिक परीक्षण करने के बाद मेरे द्वारा तैयार किये गये थे। इसमें मांस व अवशेषों को एफएसएल लैब मथुरा भेजा जाने वाले पत्र की प्रति भी संलग्न है। मैं इन प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता हूँ, इन प्रपत्रों पर प्रदर्श क–8 डाला गया। साक्षी ने कहा कि इस मुकदमे के संदिग्ध मांस व अवशेषों की जाँच के संबंध में पुलिस द्वारा जारी पत्र व मेरे द्वारा दी गयी आख्या से सम्बंधित प्रपत्र आपने साथ लाया हूँ, जो दाखिल कर रहा हूँ। मेरे द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में सीडी में उल्लेख है।

गवाह पी0डब्लू0–5 डॉ0 दीपक कुमार से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसका निष्कर्ष वाद के अंतिम निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

19. अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, 1955 विरचित किये गये है, जिनकी व्याख्या उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम, 1955 में निम्नलिखित है :–

धारा 3 गो–वध का प्रतिषेध – कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूदि या प्रथा में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुये भी, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर किसी गाय, सॉड या बैल का वध नहीं करेगा या वध नहीं कराएगा या वध के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा या प्रस्ताव नहीं कराएगा।

धारा 5 गो–मांस के विक्रय पर प्रतिषेध – (1) जैसा कि इसमें उपबंधित किया गया है, उसके सिवाय और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, कोई व्यक्ति केवल ऐसे औषधीय प्रयोजनों के लिए जैसा कि विहित किया जाये, के सिवाय किसी रूप में गो–मांस या गो–मांस के उत्पाद का विक्रय या परिवहन नहीं कराएगा।

अपवाद – व्यक्ति वायुयान या रेलगाड़ी में वास्तविक यात्री के उपभोग के लिए गो–मांस या गो–मांस के उत्पाद का विक्रय कर सकेगा या परोस सकेगा या विक्रय करा सकेगा या परोसवा सकेगा।

धारा 8 शास्ति – जो कोई धारा 3, धारा 5 या धारा 5क के उपबन्धों का उल्लघंन करता है या उल्लघंन करने का प्रयास करता है या उल्लघंन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह ऐसी अवधि के कठोर करावास, जो अन्यून तीन वर्ष होगी और जो दस वर्ष तक हो सकती है, से, और ऐसे जुर्माना, जो अन्यून तीन लाख रूपये होगा और जो पॉच लाख रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि के पश्चात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुनः दोषी हो तो वह द्वितीय दोषसिद्धि हेतु उक्त अपराध के लिए उपबंधित दोहरे दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

(3) धारा 5क के उपबंध के उल्लघंन के अभियुक्त व्यक्ति का नाम तथा फोटोग्राफ मोहल्ला में ऐसे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जहॉ अभियुक्त सामान्यतः निवास करता हो अथवा ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल पर जहां वह विधि प्रवर्तन अधिकारियों से स्वंय को छिपाता हो, प्रकाशित किया जायेगा।

अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश गो–वध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3 गो–वध को किया जाना मना करती है तथा धारा 5 गो–मांस के विक्रय पर प्रतिबंध लगाती

है। यदि किसी के द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के उल्लघंन में कोई कृत्य किया जाता है, तो उसे धारा 8 में दण्डनीय बनाया गया है।

20. अभियोजन की तरफ से कुल 05 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं।

21. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा जो वादी मुकद्मा है, ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क– 1 एवं फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–2 एवं के रूप में साबित किया है, किन्तु इस साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि **घटना वाले दिन मेरी रवानगी थाने से नहीं हुई थी। पहले ही क्षेत्र में मामूर था। मैं रवानगी जी०डी० नहीं लाया हूॅ और न ही मेरी रवानगी जी०डी० पत्रावली पर है। हम तीन लोग एक साथ थे। मोटरसाईकिल से थे। हम तीन लोग जिस मोटरसाईकिल थे उस मोटरसाईकिल का नम्बर फर्द में नहीं खोला है।** फिर आगे साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि मैं अपनी मोटर साईकिल से था तथा कर्मचारी अपनी मोटरसाईकिल से थे। मेरे साथ कोई नहीं बैठा था। मुखबिर मुझे रास्ते में मिला था। मुखबिर मुझे घटनास्थल से लगभग 400–500 मीटर पहले मिला था। मुखबिर की सूचना के बाद हम लोगों ने एक दूसरे की जामातलाशी ली थी। आज से पहले हुई मुख्य परीक्षा में व फर्द में मैंने ये बात न लिखी है न बतायी है कि हमने घटनास्थल पर पहुंचने से पहले एक दूसरे की जामातलाशी ली और दी थी। फर्द की पहली लाईन जामातलाशी में जो किलो लिखा है वो गहरा करके लिखा है। वजन 50 किलो को कटिंग करके ओवर राईटिंग नहीं की गयी है। **घटनास्थल घनी आबादी में मुल्जिम का घर है जो कि चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ है। घटनास्थल तक पहुंचने में मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई।** मुखबिर के बताने से तुरंत ही मुल्जिम के घर पहुंच गये थे। मुल्जिम के मकान में घुसने के लिए एक गेट लोहे का है। जब मैं घर में पहुंचा तो यह गेट हल्का खुला हुआ था। **घर के अन्दर मुल्जिम के अलावा और कोई नहीं था। घटनास्थल पर मैंने**

स्वतंत्र गवाह को बुलाने का प्रयास किया परन्तु भलाई बुराई की वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने फर्द में स्वतंत्र गवाहों को बुलाने का प्रयास करने वाली बात नहीं लिखी है। मैंने ये बात विवेचक को भी नहीं बतायी थी कि मैंने स्वतंत्र गवाह लेने का प्रयास किया था परंतु कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने अन्दाजे से मांस का वजन 50 किलो बताया था। मेरे पास कांटा बांट था परन्तु मैंने वजन इसलिए नहीं किया क्योंकि बांट एक किलो का था। **मुझे मौके से गोवंशीय पशु का कोई खून आला सींग, खाल, बाल, पैर, सर आदि बरामद नहीं हुआ।** गोवंशीय पश का वध वहीं किया गया था। हम लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो यह अवशेष वहां से हटा दिये गये थे लेकिन **हमने उसे तलाश करने का प्रयास नहीं किया था।** मैंने खुर, खाल, सींग आदि को हटा देने वाली बात न ही फर्द में लिखी है न ही विवेचक को बतायी है न ही मुख्य परीक्षा में बतायी है। **मौके पर कोई ग्राहक नहीं था और न ही मुल्जिम की जामातलाशी से कोई रूपया पैसा इत्यादि बरामद हुआ था।** मुल्जिम ने बताया था कि ये बछड़ा आवारा पशु था। फर्द में लिखी खरीदने वाली बात सही है जो बात मैंने आज बयान में बताया है वह बात झूठी बतायी है। **छूरी की लम्बाई दो बालिस्त थी जिसके सम्बन्ध में अलग से शस्त्र अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि शस्त्र अधिनियम में कितनी बडी छूरी रखना अपराध की श्रेणी में आता है।** पशु चिकित्सक को सूचना मैंने मौके से ही दी थी। पशु चिकित्सक मौके पर लगभग पन्द्रह मिनट में आ पहुंच गये थे। सूचना मैंने दूरभाष पर दी थी व एक रिपोर्ट तैयार कर मौके पर ही दी थी। मैंने दूरभाष पर सूचना देने वाले अपने व डॉक्टर साहब के नम्बर का उल्लेख फर्द में नहीं किया है। डॉक्टर द्वारा मौके पर ही बरामद मीट में से सैम्पल लिया गया। डॉक्टर ने मौके पर एक ही सैम्पल लिया था। डॉक्टर ने सैम्पल को मेरे सामने सील नहीं किया था अस्पताल जाकर सील किया होगा। **मौके पर डॉक्टर साहब द्वारा लिये गये सैम्पल पर न मैंने न मेरे हमराहियों ने न मुल्जिम ने हस्ताक्षर**

किये। मौके से डॉक्टर साहब सैम्पल को प्लास्टिक के डिब्बे में लेकर गये थे। **मुझे ध्यान नहीं है कि डॉक्टर साहब ने इस डिब्बे को मौके पर सील किया था अथवा नहीं। मौके पर डॉक्टर साहब द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। मुझे यह ध्यान नहीं है कि मौके पर कोई रिपोर्ट तैयार की गयी हो। साक्षी पी0डब्लू0 1 ने कागज सं0 7क/1 को देखकर कहा कि उसे ये ध्यान नहीं है कि यह रिपोर्ट मौके पर दी थी या थाने पर डॉक्टर साहब ने दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मौके पर ही सैम्पल के लिए फॉर्म भरा था। यह फॉर्म पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर भरा गया था उन्हीं के द्वारा अपराध संख्या 275/21 धारा 3/5/8 सी०एस०ए० थाना बहेड़ी अंकित किया गया था।** वह यह नहीं बता सकते कि अपराध संख्या डॉक्टर साहब ने कैसे अंकित कर दिया। फर्द की कॉपी मौके पर मुल्जिम को दी थी परन्तु इस बात का उल्लेख फर्द में नहीं है। कॉपी मुल्जिम को देना जल्दी में छूट गया। गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार किया गया था, परन्तु इस बात का उल्लेख उनके द्वारा फर्द में नहीं है, बल्कि ये अंकित है कि गिरफ्तारी की सूचना उचित माध्यम से मौके पर दी गयी। सूचना अभियुक्त की मां को दी थी। बरामद मांस को नष्ट करने की कोई फर्द अलग से तैयार नहीं की गयी थी। जिन लोगों से मांस को दबाने के लिए गड्ढ़ा खुदवाया गया था उनके नाम फर्द में नहीं लिखे थे और न ही उनके द्वारा उन लोगों के नाम विवेचक को बताये थे। साक्षी ने माल मुकदमाती के प्लास्टिक का कट्टा वस्तु प्रदर्श–1 के ऊपर जो चिट लगी है उस पर मुल्जिम के व हमराहियों के हस्ताक्षर नहीं हैं। उनके द्वारा हमराहियों व मुल्जिम के हस्ताक्षर चिट पर नहीं कराये गये थे। तराजू किस कम्पनी का था ये बात फर्द में अंकित नहीं है जबकि बरामद तराजू पर गुरूदेव ओनिडा स्पष्ट शब्दों में लिखा है।

22. साक्षी पी0डब्लू0–1 एस0आई0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने जिरह में यह कहा कि उनकी रवानगी थाने से नहीं हुई थी वह पहले ही क्षेत्र में मामूर थे, न ही रवानगी जी0डी0 पत्रावली पर है। आगे साक्षी ने अपनी

जिरह में कहा है कि वह स्वयं साक्षी पी0डब्लू0 1 धर्मेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक अरूण कुमार शर्मा एवं साक्षी कां0 112 अरूण पूनिया मोटर साईकिल से थे, *''हम तीनों एक साथ थे हम तीनों जिस मोटर साईकिल से उस मोटर साईकिल का नम्बर फर्द में नहीं खोला है।''* उनके साथ कोई नहीं बैठा था। मुखबिर उन्हें घटनास्थल से लगभग 400–500 मीटर पहले मिला था। साक्षी ने प्रति परीक्षा में कहा है हमने एक दूसरे की जामात लाशी ली थी, परन्तु साक्षी फर्द बरामदगी में कथन किया है कि मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराहीयान कर्मचारीगण मय मुखबिर के, मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की तरफ चल दिया, मुखबिर ने 20 कदम दूर लगभग इशारा करे बताया कि यह वही मकान है जहॉ पर गौकशी हो रही है। हम पुलिस वालों ने एकबारगी दबिश देकर घर में प्रवेश किया तो हम पुलिस वालों ने उसे व्यक्ति को पकड़ लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षी मय हमराहीयान द्वारा एक दूसरे की जामातलाशी नहीं ली गयी। साक्षी पी0डब्लू0 1 ने अपने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ***घटनास्थल घनी आबादी में मुल्जिम का घर है जो कि चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ है। घटनास्थल तक पहुंचने में मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई।*** इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0 1 ने बयान में कहना कि घटना स्थल घनी आबादी वाला घर है जो चारों तरफ से घरों से घिरा हुआ है। उपरोक्त प्रकरण में यह कहना कि मुल्जिम का घर चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ है और एक व्यक्ति जिसके हाथ में बाट तराजू, छुरी, लकड़ी का गुटका, लगभग 50 मिलो मांस रखा मौजूद मिला, साक्षी का यह कहना कि घर के अन्दर बरामदगी की गयी, कोई जनता का साक्षी नहीं मिला, फर्द बरामदगी मुल्जिम के किसी भी घर के सदस्य का जिक्र नहीं है। फर्द बरामदमी में कथन किया है कि मुखबिर की सूचना पर बताया गया कि **मुल्जिम दानिश पुत्र नवी अहमद घर में गौवंशीय बध कर मीट बेच रहा है, परन्तु साक्षी पी0डब्लू0 1 द्वारा दिये गये अपने बयान एवं फर्द बरामदगी में अभियुक्त द्वारा बेचे जा रहे गौवंशीय मांस के संबंध में मौके पर किसी**

ग्राहण अथवा मांस कय करने वाले किसी व्यक्ति या घर के अन्दर किसी भी सदस्य की उपस्थिति के संबंध में नहीं बताया गया है। उसने अपने अन्दाजे से मांस का वजन 50 किलो बताया था। उसके पास कांटा बांट था, परन्तु उसने वजन इसलिए नहीं किया क्योंकि बांट एक किलो का था। **मुझे मौके से गोवंशीय पशु का कोई खून आला सींग, खाल, बाल, पैर, सर आदि बरामद नहीं हुआ। गोवंशीय अवशेष उसने उसने तलाश करने का प्रयास नहीं किया था न ही अभियुक्त के कब्जे से कोई रुपया इत्यादि बरामद नहीं हुआ। साक्षी ने कथन किया है कि छूरी की लम्बाई दो बालिस्त थी जिसके सम्बन्ध में अलग से शस्त्र अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि शस्त्र अधिनियम में कितनी बडी छूरी रखना अपराध की श्रेणी में आता है।** पशु चिकित्सक को उसने मौके से ही सूचना दी थी व एक रिपोर्ट तैयार कर मौके पर ही दी थी। डॉक्टर ने सैम्पल को उसके सामने सील नहीं किया था अस्पताल जाकर सील किया होगा। **मौके पर डॉक्टर साहब द्वारा लिये गये सैम्पल पर न उसने और न हमराहियों ने, न मुल्जिम ने हस्ताक्षर किये।** उसने **ध्यान नहीं है कि डॉक्टर साहब ने इस डिब्बे को मौके पर सील किया था अथवा नहीं। मौके पर डॉक्टर साहब द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। साक्षी पी0डब्लू0 1 ने कागज सं0 7क/1 को देखकर कहा कि उसे ये ध्यान नहीं है कि यह रिपोर्ट मौके पर दी थी या थाने पर डॉक्टर साहब ने दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मौके पर ही सैम्पल के लिए फॉर्म भरा था। यह फॉर्म पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर भरा गया था उन्हीं के द्वारा अपराध संख्या 275/21 धारा 3/5/8 सी०एस०ए० थाना बहेड़ी अंकित किया गया था।** ***वह यह नहीं बता सकते कि अपराध संख्या डॉक्टर साहब ने कैसे अंकित कर दिया।*** गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार किया गया था, परन्तु इस बात का उल्लेख उनके द्वारा फर्द में नहीं है, बल्कि ये अंकित है कि गिरफ्तारी की सूचना उचित माध्यम से मौके पर दी गयी। बरामद मांस को नष्ट करने की कोई फर्द अलग से तैयार नहीं की

गयी थी। जिन लोगों से मांस को दबाने के लिए गड्ढ़ा खुदवाया गया था उनके नाम फर्द में नहीं लिखे थे और न ही उनके द्वारा उन लोगों के नाम विवेचक को बताये थे। साक्षी ने माल मुकदमाती के प्लास्टिक का कट्टा **वस्तु प्रदर्श–1** के ऊपर जो चिट लगी है उस पर मुल्जिम के व हमराहियों के हस्ताक्षर नहीं हैं। उनके द्वारा हमराहियों व मुल्जिम के हस्ताक्षर चिट पर नहीं कराये गये थे। **तराजू किस कम्पनी का था ये बात फर्द में अंकित नहीं है जबकि बरामद तराजू पर गुरूदेव ओनिडा स्पष्ट शब्दों में लिखा है।**

23. इस प्रकार पी0डब्लू0 1 उपनिरीक्षक अरूण कुमार शर्मा द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा के बयानों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ गौवंशीय मांस जिसे अभियुक्त द्वारा बेचा जा रहा था, परन्तु विक्री का कोई पैसा अभियुक्त के कब्जे से बरामद न होना तथा मौके पर कोई ग्राहक न होना, घटना व बरामदगी को संदिग्ध करता है।

24. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0– 2 उपनिरीक्षक अरूण कुमार शर्मा जो फर्द बरामदगी के साक्षी हैं, ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए फर्द बरामदगी जिसे साक्षी पी0डब्लू0 1 द्वारा प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया जा चुका है, किन्तु इस साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि ''हम लोग थाने से मोटर साईकिल से रवाना हुये थे, हम लोग एक ही मोटर साईकिल से गये थे, हमारी टीम के साथ एह ही मोटर साईकिल थी। हम तीनों एक ही मोटर साईकिल से थे। मैं नहीं जानता हूॅं कि दो पहिया वाहन पर तीन व्यक्तियों का बैठना आपराधिक श्रेणी में आता है। मुल्जिम को दूसरी मोटर साईकिल से लाये थे, दूसरी मोटर साईकिल चौकी से मंगायी थी इस मोटर साईकिल को किसने मंगाया ध्यान नहीं है। मुल्जिम के घर में उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। आसपास मीट खरीदने वाला ग्राहण मिला थ्या या नहीं उसे ध्यान नहीं है। जो मांस घटना स्थल पर मिला था उसी मौके से बरामद मीट का वजन तौला गया था, बरामद मांस

को एक किलो व दो किलो करके पच्चीस बार में तोला गया था। इस प्रकार मीट का वजन 50 किलो का था। डॉक्टर साहब कहां से आये थे यह उसे पता नहीं है। रिपोर्ट थाने में 15–20 मिनट बाद डॉक्टर साहब मौके पर आ गये थे। डॉक्टर साहब मौके पर 10 मिनट करीब रूके थे, पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर एक डिब्बे में सैंपिल लिया गया था जिसे लेकर डॉक्टर साहब साथ लेकर गये थे या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। सैम्पिल लिया था, उस पर मेरे व अन्य किसी के हस्ताक्षर कराये थे या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। डॉक्टर साहब ने मौके पर कोई लिखा–पढ़ी नहीं की थी। घटना स्थल पहुंचने से पहले हम लोगों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ली–दी थी या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं कि मैंने घटना स्थल पर पहुंचने से विवेचक को यह बात बतायी थी या नहीं। घटना स्थल पर जनता के बहुत सारे लोग आ गये थे, लेकिन कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। मौके से कोई खून, खुर, खाल, सींग आदि नहीं मिला था। यह जानने का प्रयास नहीं किया था कि इस पशु का वध कहॉ किया गया था। फर्द बनाने में कितना समय लगा उसे ध्यान नहीं है, पूरा गिरफ्तारी मैको मौके पर ही भरा गया था, लेकिन यह बात सही है कि बरामदगी पर ऐसा कोई गिरफ्तारी मेमो उपलब्ध नहीं है। फर्द दो प्रतियों में तैयार की थी, दूसरी प्रति कार्बन कापी थी, कार्बन दरोगा जी के पास पहले से था, फर्द की कापी मुल्जिम ने कहीं रास्ते में फेंक दी थी या अपने पास रख ली थी, मुझे ध्यान नहीं है।

25. साक्षी पी0डब्लू0–2 एस0आई0 अरूण कुमार शर्मा ने जिरह में यह कथन किया है कि **हमारी टीम के पास एक ही मोटर साईकिल थी, हम लोग एक ही मोटर साईकिल से थे, साक्षी ने आगे कहा है कि वह यह नहीं जनता कि दो पहिया वाहन पर तीन व्यक्तियों का बैठना आपराधिक श्रेणी में आता है।** अभियुक्त को दूसरी दूसरी मोटर साईकिल से थाने लाये थे, दूसरी मोटर साईकिल चौकी से मंगायी थी, इस मोटर साईकिल को किसने मंगाया ध्यान नहीं है। **जिस समय अभियुक्त के घर में दबिश दी**

गयी उस समय अभियुक्त के घर में उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था और न ही मीट खरीदने वाला ग्राहक मिला या नहीं उसे ध्यान नहीं है। जो मांस घटना स्थल पर मिला था उसी मौके से बरामद मीट का वजन तौला गया था, बरामद मांस को एक किलो व दो किलो करके पच्चीस बार में तोला गया था। इस प्रकार मीट का वजन 50 किलो का था। जबकि साक्षी पी0डब्लू0 2 वादी मुकदमा ने अपने बयान में कथन किया है कि ''***मैंने अन्दाजे से मांस का वजन 50 किलो बताया था। मेरे पास कांटा बांट था परन्तु मैंने वजन इसलिए नहीं किया क्योंकि बांट एक किलो का था।***' इस प्रकार वादी मुकदमा द्वारा दिये गये बयान एवं साक्षी पी0डब्लू 2 उपनिरीक्षक अरूण कुमार शर्मा द्वारा दिये गये बयानों में गंभीर विरोधाभास है। पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर एक डिब्बे में सैंपिल लिया गया था जिसे लेकर डॉक्टर साहब साथ लेकर गये थे या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। सैम्पिल लिया था, उस पर मेरे व अन्य किसी के हस्ताक्षर कराये थे या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। डॉक्टर साहब ने मौके पर कोई लिखा–पढ़ी नहीं की थी। घटना स्थल पहुंचने से पहले हम लोगों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ली–दी थी या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं कि मैंने घटना स्थल पर पहुंचने से विवेचक को यह बात बतायी थी या नहीं। घटना स्थल पर जनता के बहुत सारे लोग आ गये थे, लेकिन कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में आगे यह कथन किया है कि **मौके से कोई खून, खुर, खाल, सींग आदि नहीं मिला था। यह जानने का प्रयास नहीं किया था कि इस पशु का वध कहॉ किया गया था।** फर्द बनाने में कितना समय लगा उसे ध्यान नहीं है, पूरा गिरफ्तारी मैको मौके पर ही भरा गया था, लेकिन यह बात सही है कि बरामदगी पर ऐसा कोई गिरफ्तारी मेमो उपलब्ध नहीं है। फर्द दो प्रतियों में तैयार की थी, दूसरी प्रति कार्बन कापी थी, कार्बन दरोगा जी के पास पहले से था, फर्द की कापी मुल्जिम ने कहीं रास्ते में फेंक दी थी या अपने पास रख ली थी, मुझे ध्यान नहीं है।

26. साक्षी पी0डब्लू0–3 हे0कां0 119 राकेश कुमार जो उपरोक्त मुकदमा के एफआईआर लेखक है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में चिक एफआईआर को प्रदर्श क–3 जी0डी0 कायमी को प्रदर्श क– 4 के रूप में साबित किया है तथा साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसने प्रभारी निरीक्षक के मौख्कि आदेश पर मुकदमा लिखा था, नोट शब्द कटिंग है और फर्द की कापी मुल्जिम को देने का उल्लेख नहीं है और न ही हवालात मर्दाना दाखिल करते समय अभियुक्त से कोई फर्द की कापी बरामद हुई थी। मुल्जिम के साथ कोई माल दाखिल नहीं हुआ था, बरामद मांस को मौके पर ही नष्ट करना बताया गया। साक्षी पी0डब्लू0 3 राकेश कुमार औपचारिक साक्षी है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए प्रति परीक्षा में कथन किया है कि प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश पर मुकदमा लिखा था, नोट शब्द कटिंग है और फर्द की कापी मुल्जिम को देने का उल्लेख नहीं है और न ही हवालात मर्दाना दाखिल करते समय अभियुक्त से कोई फर्द की कापी बरामद हुई थी। मुल्जिम के साथ कोई माल दाखिल नहीं होने का कथन किया है।

27. साक्षी पी0डब्लू0–4 उपनिरीक्षक अनुज चौधरी जो उपरोक्त मुकदमा के विवेचक है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी को प्रदर्श क–5, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श क– 6, आरोप पत्र को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है तथा साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि विवेचना दिनांक 09.05.2021 को विवेचना प्रारम्भ की गई, नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर बनाया था, यह सही है कि सीडी नं0 2 के प्रिंट की दिनांक पर कटिंग है। मेरी दौराने विवेचना एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, न ही मेरे द्वारा पशु चिकित्सक की कोई बयान लिया गया था न ही प्रारम्भिक परीक्षण करने वाले चिकित्सक का कोई बयान अंकित किया है, माल मुकदमाती आज मेरे सामने उपलब्ध नहीं है, न ही प्रारम्भिक मेडिकल का अवलोकन मेरी अपनी पूर्ण विवेचना के बाद

आरोप पत्र प्रेषित करने तक मांस का परीक्षण करने वाली रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया, न ही उस जगह का परीक्षण किया गया जहॉ वादी द्वारा मांस को दफनाया जाना बताया, न ही मेरे द्वारा जनता के स्वतंत्र साक्षी का बयान अंकित किया, न ही उसकी कोई तलाशी की, न ही आस पास के किसी भी व्यक्ति को बयान के लिए बुलाया।

28. इस प्रकार साक्षी द्वारा दिये गये अपने बयान में उन्हें दौरान विवेचना एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, न ही उनके द्वारा पशु चिकित्सक का कोई बयान लिया गया था, न ही प्रारम्भिक परीक्षण करने वाले चिकित्सक का कोई बयान अंकित किया, माल मुकदमाती भी आज उसके सामने उपलब्ध नहीं है, न ही प्रारम्भिक मेडिकल का अवलोकन मेरी अपनी पूर्ण विवेचना के बाद आरोप पत्र प्रेषित करने तक मांस का परीक्षण करने वाली रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया, न ही उस जगह का परीक्षण किया गया जहॉ वादी द्वारा मांस को दफनाया जाना बताया, न ही साक्षी के द्वारा जनता के स्वतंत्र साक्षी का बयान अंकित किया, न ही उसकी कोई तलाशी की, न ही आस पास के किसी भी व्यक्ति को बयान के लिए बुलाया गया है।

29. साक्षी पी0डब्लू0–5 डॉ0 दीपक कुमार जो उपरोक्त मुकदमा के विशेषज्ञ साक्षी हैं, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में एफएसएल रिपोर्ट हेतु मथुरा भेजे जाने वाले पत्र को प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है तथा साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैंने मेडिकल परीक्षण थाने में किया था। थाने में जिस मीट का परीक्षण किया था उसका वजन लगभग 50 किलो था, मेडिकल मैंने 3:30 बजे लगभग किया था, घटनास्थल पर मैं नहीं गया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि परीक्षक के समय मुल्जिम कहॉ था, उनका नाम क्या था उसे पता नहीं है, जो नाम था एफआईआर में लिखा था। मांस व उसके अवशेष प्लास्टिक के कट्टे में थे। मेरी राय में यह निश्चित नहीं था कि बरामद मांस किस पशु का था, मौके से मैंने दो सैंपल लिए थे। बरामद सैंपल पर मुल्जिम के

हस्ताक्षर व किसी पुलिस कर्मी के हस्ताक्षर नहीं कराए थे। उसे मीट परीक्षण करने की सूचना लिखित में मिली थी।

30. इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0 5 डॉक्टर प्रदीप कुमार द्वारा दिये गये अपने बयान कथन किया है कि उन्होंने मीट का परीक्षण थाने पर किया था, परन्तु साक्षी पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा ने अपने बयान में कथन किया है कि ''पशु चिकित्सक को सूचना मैंने मौके से ही दी थी। पशु चिकित्सक मौके पर लगभग पन्द्रह मिनट में आ पहुंच गये थे। सूचना मैंने दूरभाष पर दी थी व एक रिपोर्ट तैयार कर मौके पर ही दी थी। मैंने दूरभाष पर सूचना देने वाले अपने व डॉक्टर साहब के नम्बर का उल्लेख फर्द में नहीं किया है। डॉक्टर द्वारा मौके पर ही बरामद मीट में से सैम्पल लिया गया। डॉक्टर ने मौके पर एक ही सैम्पल लिया था। डॉक्टर ने सैम्पल को मेरे सामने सील नहीं किया था अस्पताल जाकर सील किया होगा। **मौके पर डॉक्टर साहब द्वारा लिये गये सैम्पल पर न मैंने न मेरे हमराहियों ने न मुल्जिम ने हस्ताक्षर किये।** मौके से डॉक्टर साहब सैम्पल को प्लास्टिक के डिब्बे में लेकर गये थे। **मुझे ध्यान नहीं है कि डॉक्टर साहब ने इस डिब्बे को मौके पर सील किया था अथवा नहीं। मौके पर डॉक्टर साहब द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। मुझे यह ध्यान नहीं है कि मौके पर कोई रिपोर्ट तैयार की गयी हो। साक्षी पी0डब्लू0 1 ने कागज सं0 7क/1 को देखकर कहा कि उसे ये ध्यान नहीं है कि यह रिपोर्ट मौके पर दी थी या थाने पर डॉक्टर साहब ने दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मौके पर ही सैम्पल के लिए फॉर्म भरा था। यह फॉर्म पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर भरा गया था उन्हीं के द्वारा अपराध संख्या 275/21 धारा 3/5/8 सी०एस०ए० थाना बहेड़ी अंकित किया गया था।** वह यह नहीं बता सकते कि अपराध संख्या डॉक्टर साहब ने कैसे अंकित कर दिया। इस प्रकार बरामदगी संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्त को समय करीब 16:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया, जबकि अपराध की घटना एफआईआर में दिनांक 08.05.2021 समय 16:35

बजे अंकित की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में **मु0अ0सं0 275, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थान बहेड़ी जिला बरेली में डॉक्टर दीपक कुमार द्वारा दिनांक 09.05.2021 को Research Officer, Forensic Investigation Laboratory Pandit Deen Dayal Upadhyay Veterinary University, Mathura (U.P.) द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण की एफआईआर दिनांक 08.05.2021 को समय 17:37 बजे पंजीकृत की गयी है**, जो सम्पूर्ण प्रकरण में संदिग्ध बनाती है।

31. इस संबंध **विधि व्यवस्था मथुरा प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2005 सीआर0एल0जे0, 2741 पर विश्वास व्यक्त किया गया है।** उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि जी0डी0 रवानगी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साबित न करवाने का गम्भीर परिणाम होगा, क्योंकि जी0डी0 रवानगी महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जी0डी0 रवानगी से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पुलिस पार्टी घटना के समय घटना स्थल पर जो उपस्थिति दिखा रही है, वह सही है। यदि न्यायालय के समक्ष जी0डी0 रवानगी जिसमें पुलिस पार्टी अपराधियों की तलाश में निकली थी, प्रस्तुत नही करती है, तो घटना के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है। प्रश्नगत मामले में भी जी0डी0 रवानगी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था का लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा।

32. गवाह पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने जिरह में कहा कि मुखबिर ने उसे सूचना दी थी, परन्तु मुखबिर ने उन्हें सूचना किस समय दी वह उन्हें ज्ञात नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्य भी घटना के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है।

33. गवाह पी0डब्लू0–1 एस0आई0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बयान में कहा कि अभियुक्त जिस मकान में मांस की विक्री कर रहा था उस मकान के चारों तरफ मकान थे। उपरोक्त गवाह ने जिरह कहा कि घ टना स्थल पर पब्लिक का कोई गवाह नहीं आया था। उपरोक्त घटना

स्थल आबादी वाला एरिया है। इसका कोई उचित स्पष्टीकरण अभियोजन के द्वारा नहीं दिया गया है।

34. इस संबध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 का उल्लेख करना भी उचित समझता हूँ। धारा 100 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 किसी बंद परिसर की तलाशी के संबंध में सम्पूर्ण प्रावधान वर्णित करती है। खाना तलाशी के लिए उस मोहल्ले के दो गणमान्य, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्ति को धारा 100 दं0प्र0सं0, 1973 के अनुसार रखना आवश्यक है तथा यह भी आवश्यक है कि खाना तलाशी की सूची अर्थात् फर्द तैयार करके दो निष्पक्ष साक्षियों के हस्ताक्षर करवाये जायें और फर्द की नकल भी अभियुक्त को दी जाये तथा धारा 100 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस के लिखित आदेशानुसार साक्षी बनने से इंकार करता है, तो उस पर 187 आई0पी0सी0, 1860 की कार्यवाही की जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में कोई भी लिखित आदेश वादी मुकदमा/उप निरीक्षक के द्वारा पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि तलाशी में साक्षी के हाजिर होने हेतु कोई लिखित आदेश उनके द्वारा जारी किया गया और न ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध धारा 187 आई0पी0सी0, 1860 की कार्यवाही की। अतः वादी मुकदमा/ उप निरीक्षक के द्वारा कानून का घोर उल्लंघन प्रस्तुत प्रकरण में किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्य भी अभियोजन कथानक को पूर्णतः संदेहास्पद बना देता है। इस संबंध में विधि व्यवस्था राजू उर्फ मामा उर्फ रामगोपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2004 सीआर0एल0जे0, 4266 पर विश्वास व्यक्त किया गया है। मेरे द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था का सादर अध्ययन किया गया। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि फर्द बरामदगी के संबंध में जनता के दो गवाह का उपस्थित होना जरूरी है। यदि पुलिस पार्टी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, तो उपरोक्त तथ्य पुलिस पार्टी के विरूद्ध पढ़ा जायेगा और घटना के

संबंध में संदेह उत्पन्न करेगा। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था का लाभ भी अभियुक्त को प्राप्त होगा।

35. अतः गवाह पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा के उपरोक्त बयान के विश्लेषण से निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति में पुलिस पार्टी के द्वारा थाने में बैठकर अपने मन से बनायी गयी है और अभियुक्त को असत्य कथनों के आधार पर फंसाया गया है।

36. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक में गम्भीर विरोधाभास एवं विसंगतियॉ हैं। प्रश्नगत प्रकरण में फर्द बरामदगी का स्थल आबादी वाला होने के बावजूद कोई स्वतंत्र गवाह नहीं प्रस्तुत किया गया है। सारे गवाह पुलिस पार्टी के हैं। पुलिस पार्टी के गवाहों में भी गम्भीर विरोधाभास है, जिससे उपरोक्त घटना पूर्णतः संदिग्ध हो जाती है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों से उपरोक्त घटना सिद्ध एवं साबित नहीं होती है। अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः अभियुक्त दानिश अंतर्गत धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गो–वध निवारण अधिनियम, 1955 के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियक्त दानिश को सत्र परीक्षण संख्या 1203/2023, मु0अ0सं0 275/2021 थाना बहेड़ी, जिला बरेली के मामलें में आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गो–वध निवारण अधिनियम, 1955 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान उपस्थित रहने हेतु प्रस्तुत जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437 (ए) दं0प्र0सं0 1973 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत बीस हजार रूपये का व्यक्तिग्त बंधपत्र तथा समतुल्य धनराशि की दो प्रतिभू अंदर सप्ताह निष्पादित करें कि यदि किसी उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में कोई अपील या याचिका संस्थित की जाती है तथा उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे आहूत किया जाता है तो वह उपस्थित होंगा। अभियुक्त द्वारा धारा 437(ए) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल बंधपत्र व प्रतिभू निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

वस्तु बाद मियाद अपील अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशनुसार नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

वाद लिपिक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 365 का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित करे।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 02.06.2026

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
JO CODE UP 1828
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1,
बरेली।

यह निर्णय आज दिनॉक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

दिनांक 02.06.2026

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
JO CODE UP 1828
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1,
बरेली।

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.06.06 10:28:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court